

# प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्वाचन व्यय लेखे के रजिस्टर क्रमांक ....२३..... में

पृष्ठ संख्या .....२१..... से .....३१..... तक है।

क्र.सं.	विवरण	पेज क्रमांक	
		से	तक
1	अनुलग्नक-ड 1-भाग-क : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर	05	106
2	अनुलग्नक-ड 1-भाग-ख : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रोकड़ रजिस्टर	107	172
3	अनुलग्नक-ड 1-भाग-ग : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्टर	173	239
4	अनुसूचियां - 1 से 11	240	298
5	अनुलग्नक-ड 2 : निर्वाचन व्ययों का सार विवरण - भाग I से IV	299	302
6	अनुलग्नक-घ 1 : जनसभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा	303	310
7	पावती प्रपत्र	311	-



हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर)

रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग ऑफिसर का नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155, बल्लभनगर  
(उप-छात्र अधिकारी एवं उप-छात्र मास्टर, बल्लभनगर)

..... निर्वाचन क्षेत्र

तिथि .....

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों निर्वाचन व्यय  
लेखे के रख रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : ..... रूपलाल मेनोशिया .....

राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई है : ..... नि.द.ली.य .....

निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से चुनाव लड़ा गया : ..... बल्लभ म नगर विधान सभा .....

परिणाम घोषणा की तारीख : ..... 3/12/23 .....

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम और पता : .....

उपगत / प्राधिकृत कुल व्यय : .....

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)







निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन

अभ्यर्थी का नाम: रमपाल मेनारी  
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: समाजवादी  
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: 155 वल्लभगढ़  
 (नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम

1 व्यय/घटना की तारीख	2 व्यय की प्रकृति			3 कुल राशि रु में (भुगतान किया गया + बकाया)	4 आदाता का नाम और पता
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर		
17/11/23	बीप	1	2625	2625	
6	बीप	1	2625	2625	
5	बीप	1	420	420	
नोट - बीप का प्रकोलाइड एडमिन स्ट्रॉक के माध्यम से भिन्न ताल 500 रु है। इसके अलावा 500 रु है।					

प्रमाणित किया जाता है कि धरे/धरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77

(भाग - क)  
 के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

परिणाम की घोषणा की तारीख: .....  
 निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता: .....  
 उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय: .....

की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

5 बिल नं./वाउचर नं. और तारीख	6 अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उभार/प्राधिकृत राशि	7 राजनीतिक पार्टी द्वारा उभार/प्राधिकृत राशि और राजनीतिक दल का नाम	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किन्हीं अन्य द्वारा उभार/प्राधिकृत राशि (पूरु नाम और पता लिखें)	9 रिप्ली यदि कोई हो।
Inspection Conducted till 17/11/23.				
1) कुल राशि - Part A - Rs. 61,330/-				
2) कुल राशि - B-13 - Rs. 61,330/-				
No difference Nil				
18/11/23				

के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग ऑफिसर (उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 155-वल्लभनगर जिला - उदयपुर

क्रमांक:-निर्वा/विसचु/2023/ 986

दिनांक:- 22/11/2023

अभ्यर्थी श्री सपलाल मेनारिया  
त्रिदलीप  
अभ्यर्थी, विधानसभा आम चुनाव 2023  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वल्लभनगर

विषय:- विधानसभा आम चुनाव 2023 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77-78 के तहत दिनांक 22.11.2023 को निर्वाचन व्यय लेखों की उपस्थित नहीं होने के क्रम में नोटिस।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप विधानसभा आम चुनाव- 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77-78 के तहत आपको अपने निर्वाचन व्यय लेखों का संधारण किया जाना अनिवार्य है। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 761 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77-78 के तहत पत्र जारी कर दिनांक 14.11.2023 दिनांक 18.11.2023 एवं दिनांक 22.11.2023 को (तीन बार ) आप स्वयं या आपके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक महोदय के समक्ष आपके निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखों की जांच करवाने हेतु सूचित किया गया।

इस हेतु निर्धारित कार्यक्रमानुसार व्यय का तृतीय निरीक्षण आपको दिनांक 22.11.2023 को इस कार्यालय में उपस्थित होकर करवाया जाना था लेकिन आप द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखों का निरीक्षण निर्धारित दिनांक को नहीं कराया गया है।

अतः आप दिनांक 24.11.2023 को 2.00 P.M. बजे इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपने निर्वाचन व्यय लेखों का निरीक्षण आवश्यक रूप से करवाये अन्यथा आपके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77-78 का उल्लंघन माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सूचित रहे।

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान व्यय पर्यवेक्षक महोदय, विधानसभा आम चुनाव, 2023 को सूचनार्थ।
2. श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर महोदय, वल्लभनगर) को सूचनार्थ।
3. सहायक व्यय पर्यवेक्षक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वल्लभनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

रिटर्निंग ऑफिसर  
वल्लभनगर-155 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155, वल्लभनगर  
(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर)

रिटर्निंग ऑफिसर  
वल्लभनगर-155 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155, वल्लभनगर  
(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर)